

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-76/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० स्वाति कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग), सदर अस्पताल, छपरा के द्वारा द्वितीय सतान के प्रसव हेतु दिनांक-16.06.2025 से 12.12.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों उपभोग किये जाने वाले अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

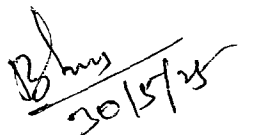
(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-76/2023- 915(2) पटना, दिनांक 3 16 / 2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण, छपरा/अधीक्षक, सदर अस्पताल, सारण, छपरा/कोषागार पदाधिकारी, छपरा/डा० स्वाति कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग), सदर अस्पताल, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव